

l f'pdkLr l f'pdkvka dh l vph&2015

vxLr&2015

f' k{k k foHkkx

de l 0	l f'pdk l a; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02 / लोक(शिक्षा)21 / 2014	श्री लवीन महतो सेवानिवृत्त शिक्षक रा0 उ0 म0 वि0 सरदुला, कर्रा, खूँटी का सेवान्त लाभ बकाया रहने के संबंध में ।	28.08.2015	जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी बकाया का भुगतान प्राप्त करा दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01 / लोक(शिक्षा)01 / 14	सुभाष चन्द्र राय, प्रधानाध्यापक गुमला के द्वारा पद का दोहरा लाभ लेने तथा गलत प्रोन्नति पाने का आरोप के संबंध में आननद किशोर पण्डा, गुमला का परिवाद ।	17.08.2015	उपायुक्त गुमला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(शिक्षा)04 / 2013	दीपक कुमार लेखा पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची को 16 माह से वेतन भुगतान लंबित रहने के संबंध में ।	17.08.2015	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अलोक में परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(शिक्षा)04 / 2015	पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने के संबंध में मोसमात मंगेश्वरी देवी, बेलागंजख गया का परिवाद ।	05.08.2015	कोषागार पदाधिकारी जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी का केस सं. MTS/15 कुटुम्ब न्यायालय गया में लंबित रहने के कारण इस परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)29/13	षडयंत्र के तहत जमीन का मुआवजा का भुगतान नहीं होने के संबंध में री दिनेश प्रसाद डोरंडा राँची का परिवाद ।	17.08.2015	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(राजस्व)234/14	पद का दुरुपयोग कर जमीन लूट की धमकी देने के संबंध में मो० जब्बार अंसारी मधुपुर का शिकायत ।	28.08.2015	शिकायत से संबंधित केस सं 138/2006 सब जज-1 के न्यायालय में लंबित है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(राजस्व)06/2013	वरीय अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में विश्वजीत भगत बुण्डु राँची का परिवाद ।	27.08.2015	परिवादी से प्राप्त मंतब्य एवं आरोपी लोकसेवकों से प्राप्त कारण पृछा के उत्तर के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## Hkou fuekZ k foHkkx

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(भवन)01/2014	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने के बावजूद भी सहायक अभियंता द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री चन्द्र विजय सिंह सिंदरी का परिवाद ।	11.08.2015	परिवादी पूर्व में ही मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी धनबाद के न्यायालय में परिवाद के निराकरण हेतु केस दर्ज कर चूका है जो लंबित है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा उक्त के आलोक में संचिकास्त कर दिया गया ।

## ty l d k/ku foHkkx

de l d	l fpdk l d; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(लघु.सिं.)03/14	योजना सं. 224/04.02.2006 में कराये गये कार्य का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री शशि पाण्डेय, चौपारण हजारीबाग का परिवाद ।	26.08.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के स्तर से लंबित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.				

## ifyl foHkkx

de l d	l fpdk l d; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(पुलिस)07/2015	बरही थाना काण्ड सं. 220/14 पर समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री ननकु यादव हजारीबाग का शिकायत ।	10.08.2015	पुलिस अधीक्षक हजारीबाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार बरही थाना काण्ड सं. 220/14 में आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में समर्पित किया जा चुका तथा उनके विरुद्ध वारंट भी जारी कर दिया गया । उक्त के आलोक में वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)16/14	जुगसलाई थाना काण्ड सं. 452/2013 पर कार्रवाई व दोषी से रूपया वापस दिलाने के संबंध में सुनिता देवी एवं मंजू देवी जमशेदपुर का परिवाद ।	11.08.2015	वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित काण्ड में अभी अनुसंधान चल रहा है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)13/2013	स्व० सरफुद्दिन खॉ (आरक्षी सं. 523) आई.आर.बी. 4 लातेहार कैम्प, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-8 लेसलीगंज पलामू की दिनांक 08.05.2013 को दुर्घटना में मृत्यु होने के पश्चात मुआवजा राशि	11.08.2015	पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के सभी वैधानिक देय पावनाओ का भुगतान करा दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

		का भुगतान नहीं होने के संबंध में श्रीमती रबिया खातुन यू.पी. का परिवाद ।		

### i Fk fuekZ k foHkkx

de l 0	l fipdk l a[; k	fo"ki;	l fipdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(पथ)05/13	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में अलबन पोल किण्डो, गुमला का परिवाद ।	27.08.2015	प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.				

### [kk | vki firZ foHkkx

de l 0	l fipdk l a[; k	fo"ki;	l fipdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1-	02/लोक(खा.आ.)13/13	देवघर प्रखण्ड के देवी स्वयं सहायता समूह असता के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा बी.पी. एल. कार्डधारी को राशन नहीं दिये जाने के संबंध में श्री प्रसादी यादव, बासकोला, देवघर का परिवाद ।	27.08.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को एक मुस्त बकाया बी.पी.एल. राशन तत्काल उपलब्ध कराया गया तथा नियमित रूप से राशन का दिया जा रहा है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## df"k foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a[; k	fo"ki	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(कृषि)22/2011	ए.सी.पी. तथा पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिलने का अरविंद प्रसाद शर्मा का शिकायत ।	21.08.2015	सहायक निदेशक गन्ना विकास गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादीके सभी परिवाद का निराकरण कर दिया गया है। अतएव परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## i 'kq kyu , oa eRL; foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a[; k	fo"ki	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(पशु)02/14	वर्ष 2010 में ही प्रावैधिक सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के बावजूद भी नियुक्ति नहीं होने व मूल प्रमाण पत्रों को वापस नहीं किये जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार मंडल साहेबगंज का परिवाद ।	05.08.2015	निदेशक पशुपालन झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में इसी वाद से संबंधित रिट सं. 7630/2013 दायर किया है जो लंबित है । अतः वाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है तथा वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पशु0)03/2012	ए.सी.पी. लाभ से वंचित रहने के संबंध में श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पशुधन सहायक, पलामू का परिवाद ।	06.08.2015	निदेशक पशुपालन, झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया है। उक्त के अलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिदया गया ।

खफे.क फोदकल , ओा दक; 7 फोहककख

दॆ ल ०	ल फॆदक ल अ; क	फो"क;	ल फॆदकलर दह फरफक	वॆरे वकनॆक
1.	02/लोक(ग्रा.वि.)01/13	एम.ए.सी.पी. ललभ के संबंघ में श्री देवलन सोरेन गिरिडीह का शिकायत ।	21.08.2015	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(ग्रा.वि.)05/14	श्री किशोर चन्द्र यादव कनीय अभियंता ग्रा0वि0वि0 जमशेदपुर द्वारा पी.सी.सी. पथ निर्माण में अनियमितता के संबंघ में श्री दुखु सामद जमशेदपुर का परिवाद ।	17.08.2015	प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.				
4.				

ि षक; फर फोहककख

दॆ ल ०	ल फॆदक ल अ; क	फो"क;	ल फॆदकलर दह फरफक	वॆरे वकनॆक
1.	02/लोक(पं. राज)85/05	पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने के संबंघ में श्रीमती बधनी मंझियान गिरिडीह का परिवाद ।	26.08.2015	कोषागार पदाधिकारी गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण विभागीय स्तर से कर दिया गया हैए परिवादीनी के ओर से ही मामला लंबित है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## fo | q foHkkx

dæ l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(विद्युत)03/2013	पति के मृत्यु के बाद देय पावनाओं के भुगतान के संबंध में मालती देवी पतरातु का परिवाद ।	27.08.2015	विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के पति के मृत्यु के बाद देय पावनाओं के भुगतान के लिए विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई किया गया है। अतः इस पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसी आशय के साथ परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## fofo/k foHkkx

dæ l 0	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(विविध)03/2014	पेंशन सम्मान राशि हेतु दिये गये आवेदन को उपायुक्त जमशेदपुर द्वारा अग्रसारित नहीं करने के संबंध में श्री जी. कृष्णामूर्ति @ बाबू शास्त्री का परिवाद ।	05.08.2015	उपायुक्त जमशेदपुर से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का निधन दिनांक 04.02.2015 का हो गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## f'kdk; r

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns' k
1.	शिकायत सं. 148/2015	जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय लातेहार में वयाप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं संबंधित कर्मियों पर कठोर कार्रवाई करने के संबंध में श्री आशीश लाल, लातेहार का शिकायत ।	28.08.2015	छद्मनामी परिवाद रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं.175/2015	परीक्षाफल के प्रकाशन के संबंध में सुनीता देवी हजारीबाग का शिकायत ।	11.08.2015	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 250/2015	विद्युत कार्यपालक अभियंता, धुर्वा राँची द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के संबंध में सतीश कुमार, हेहल राँची का शिकायत ।	10.08.2015	इससे पूर्व इसी वाद से संबंधित वाद सं. 01/लोक(विद्युत)01/2014 दर्ज किया गया था जा सामान्य प्रकृति के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया था । अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं.477/2015	श्री एस.के. सिंह वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार टंडन वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, कानपुर का शिकायत ।	21.08.2015	परिवादी वाद के संबंधित आवेदन कई प्राधिकारों में एक साथ दिया है। अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.235/2015	Violation of electricity Act & rules. Passing- 33000 Kv Ht.	11.08.2015	शिकायत सामान्य प्रकृति का है तथा किसी लोकसेवक के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार शिकायत पर किसी प्रकार के कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 222/2014	आवासीय परिसर में अभद्र व्यवहार के संबंध में श्री लक्षमण करमाली कर्मचारी नामकुम ग्रिड राँची का शिकायत ।	24.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

7.	शिकायत सं. 378/2014	श्री रामशंकर राय उप सचिव पशु एवं मत्स्य विभाग के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री राम लखन मेहता, धुर्वा राँची का शिकायत ।	11.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने तथा कार्यालय के पत्र शिकायतकर्ता का पता अपूर्ण वापस आ जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं.219/15	श्री उचित महतो एवं उनके समर्थकों को काण्ड सं. 224/13 एवं 177/15 में झूठे मुकदमे में फंसाने के संबंध में श्रीमती प्रियंका देवी पार्षद वार्ड नं. 52 धनबाद ।	12.08.2015	पुलिस द्वारा काण्ड सं. 224/13 एवं 177/15 अनुसंधान किया जा रहा है अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 230/15	अवैध प्रोन्नति के संबंध में सतीश कुमार हेहल राँची का शिकायत ।	11.08.2015	शिकायत प्रोन्नति से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 248/15	वनों की अवैध कटाई के संबंध में स्थानीय ग्रामिण, नवाडीह चतरा का शिकायत ।	11.08.2015	शिकायत सामान्य प्रकृति का है तथा किसी लोकसेवक के विरुद्ध नहीं है तथा इस पर किसी कार्रवाई आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 270/2015	पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर प्रताड़ित करने के संबंध में श्री आकाश कुमार डोम, चन्द्रपुरा बोकारो का शिकायत ।	10.08.2015	शिकायतकर्ता उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध चन्द्रपुरा थाना में कई केस दर्ज है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अतः इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 254/2015	गोला थाना काण्ड सं. 56/201 में झूठे वाद में फंसाने के संबंध में श्री किशोर कुमार साहू, अधिवक्ता राँची का शिकायत ।	06.08.2015	पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अतः इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 231/2015	श्री सुरज कुमार मिर्धा, जामताड़ा से 4,00,000 रू० षडयंत्र कर ठगने एवं जामताड़ा काण्ड सं. 23/2015 में फंसाने के संबंध में श्रीमती राजकुमारी का शिकायत ।	10.08.2015	शिकायत एक लोक सेवक के द्वारा दुसरे लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।

14.	शिकायत सं. 289/2015	बम गोली एवं अन्य लोगों के बल पर परिवारी के जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री सुरज कुमार अमन का शिकायत ।	10.08.2015	शिकायत से प्रतीत होता है कि यह वाद प्रभारी बन्दोवस्त पदाधिकारी दुमका के न्यायालय में लंबित है । अतः वाद पर अन्य कारवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के अलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 285/2015	वेतन निर्धारण में संशोधन के संबंध में श्री रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त लिपिक व्यवहार न्यायालय चतरा का शिकायत ।	10.08.2015	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के क्षेत्राधिकार से परे रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 300/2015	स्व. दीनबंधु भगत सेवानिवृत्त पंचायत सेवक के अश्रितों को सरकारी लाभ दिलाने के संबंध में श्री बसंत भगत गुमला का परिवाद ।	24.08.2015	शिकायत वर्ष 1993-94 का है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत काल बाधित है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 293/2015	पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने के संबंध में रिना टुडू जामताड़ा का शिकायत ।	24.08.2015	शिकायत चितरंजन रेल कारखाना से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं है। अतः वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 03/2015	सदर अस्पताल, खासमहल, जमशेदपुर के चिकित्सकों का कार्य के प्रति लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री सोराय मार्ली जमशेदपुर का परिवाद ।	24.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 495/2014	श्री अरुणानन्द झा प्रोजेक्विनष्ट, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय देवघर की अवैद्य नियुक्ति एवं अमर्यादित व्यवहार के संबंध में श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता, रांची का शिकायत ।	24.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं. 56/2015	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री परिमल चौधरी पलामू का परिवाद ।	26.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

21.	शिकायत सं.613/13	CNT Act का उल्लंघन कर आदिवासी भूमि का घोटाला करने के संबंध में समीर उराँव राँची का शिकायत ।	26.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं. 287/2015	प्रभारी बन्दोवस्त पदाधिकारी दुमका द्वारा सेटलमेन्ट मिस रिभिजन सं.209/11-12 में पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई के संबंध में श्री सुखदेव मेहरा, देवघर का शिकायत ।	26.08.2015	शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं. 502	परती कदम जमीन को बेचने के संबंध में बुधा मंडल एवं अन्य का शिकायत ।	26.08.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।